# बृहन्मुंबई महानगरपालिका

## परिपत्रक

**२०२०-२०२१**

क्रमांक : प्रले/एफडीटी/ २६ दिनांक ०१.१०.२०२०

**विषय :** सन २०२०-२१ चे सुधारित अंदाज व सन २०२१-२२ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज 'अ' (फंड कोड ११, १२, ६०, ७०), 'ब' (फंड कोड २१, २२, २३) आणि 'ई' (फंड कोड ३०) विषयक महसुली उत्पन्न व खर्च / भांडवली (प्रकल्प) उत्पन्न व खर्चाचे प्रस्ताव आयुक्त स्तरावर सादर करण्याबाबत

**संदर्भ :-** १. परिपत्रक क्रमांक : प्रले/एफडीटी/ १५ दि.१८.०९.२०१९
२. परिपत्रक क्रमांक : प्रले/एफडीटी/ १९ दि.२५.०९.२०१९

---

राज्य शासनाने कोरोना व्हायरसच्या प्रादुर्भावामुळे मुंबई शहरामध्ये साथरोग (Epidemic) घोषित केला असून २३ मार्च, २०२० पासून मुंबई शहरामध्ये कोविड-१९ या रोगाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लॉकडाऊन करण्यात आलेला आहे. कोरोनाच्या आपत्कालिन परिस्थितीच्या अनुषंगाने कोविड-१९ च्या उपाययोजनांकरीता विविध विभाग कार्यालये / रुग्णालये / जम्बो फॅसिलिटी सेंटर अंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर खर्च करण्यात आला आहे / येत आहे. मुंबईवर उद्भवलेल्या या कठीण परिस्थितीमुळे चालू आर्थिक वर्षात महानगरपालिकेच्या उत्पन्नामध्ये होत असलेली घट आणि वाढत असलेला खर्च लक्षात घेता महानगरपालिकेची सध्याची आर्थिक स्थिती ही कोणतेही अतिरिक्त दायित्व स्वीकारण्याइतकी भक्कम नाही. त्यामुळे महसुलाचे नवनवीन स्त्रोत शोधून त्याद्वारे महसुलात वृध्दी करण्याच्या व विद्यमान महसुली उत्पन्नाच्या स्त्रोताद्वारे अधिकाधिक महसूल कशाप्रकारे मिळविता येईल यांसारख्या उपाययोजना तातडीने करणे आणि महसुली आणि भांडवली खर्चावर काही कडक निर्बंध घालणे अत्यंत गरजेचे आहे.

महसूली खर्चाच्या बाबतीत आस्थापना, निवृत्तीवेतन आदी खर्च तसेच प्रत्येक मतदार संघामध्ये अनपेक्षित कामांसाठी ठोक तरतूद म्हणजेच नगरसेवक निधी आणि विद्युत आकार, मालमत्ता कराचे व जल आकाराचे अधिदान या सेवाशिर्षाखालील खर्च वगळता अन्य दैनंदिन महसुली खर्चासाठी सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरिता उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या तरतुदीतून किमान २०% बचत करणे आवश्यक आहे. तसेच बरेचदा असे निदर्शनास आले आहे की, केवळ अर्थसंकल्पीय तरतूद उपलब्ध आहे म्हणून अनावश्यक स्वरुपाची कामे हाती घेण्यात येतात, अशा स्वरुपाची अनावश्यक कामे हाती घेण्यात येऊ नयेत. त्यादृष्टीने सद्यस्थितीत आर्थिक काटकसर करून खर्च कमी करण्यासाठी परिपत्रक क्र.सीए/एफडीटी/ २२ दि.०३.०९.२०२० अन्वये मार्गदर्शक सुचना पारीत केल्या आहेत.

त्याचप्रमाणे सर्व खाते प्रमुखांनी सध्या जी भांडवली कामे हाती घेण्यात आलेली आहेत ती पूर्ण करावीत व त्यानंतर जी अत्यावश्यक व टाळता न येणारी आवश्यक असलेली कामेच हाती घेण्यात यावीत, तथापि अशा प्रत्येक कामाला संबंधित मान.अतिरिक्त आयुक्त आणि मान.महानगरपालिका आयुक्त यांची विशिष्ट मंजुरी घ्यावी. शासनाच्या विविध विभागांकडून प्रलंबित असलेले विविध कर / आकार तसेच शासनाकडून जमा करण्यात येणाऱ्या

करातील महानगरपालिकेचा हिस्सा इत्यादीपोटी शासनाकडून प्रलंबित येणे रकमा प्राप्त करण्यासाठी वारंवार पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे. परिवहन खात्याने महानगरपालिकेतर्फे विविध खातेप्रमुखांना व त्यांच्या अखत्यारित काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पुरविण्यात येणाऱ्या वाहनांचा आढावा घेऊन कोणती वाहने बंद करणे शक्य आहे अशी वाहने पुरविण्याचे बंद करण्यात यावे. या सर्व बाबी विचारात घेऊन पुढील आर्थिक वर्षाकरीता तरतूदी प्रस्ताविण्यात याव्यात.

२. सन २००७-०८ या आर्थिक वर्षापासून अर्थसंकल्पीय अंदाजप्रामुख्याने निधी (Fund) व महानगरपालिकेतर्फे पार पाडण्यात येणारी कार्ये (Functions) यावर आधारित असून मुख्य कार्यालय (Head Office), विभाग - एक, दोन आणि तीन (Div.- I, II and III), परिमंडळ एक ते सात (Zone - I to VII), विभाग (Wards) आणि स्थानिय घटक / शाखा (Location Unit) अशा Cost / Profit Centre नुसार तयार करण्याची सुधारित अर्थसंकल्पीय कार्यप्रणाली अवलंबिण्यात आली आहे. त्यामुळे, प्रत्येक खात्याचे सन २००७-०८ पासूनचे अर्थसंकल्पीय अंदाज त्यांच्या कॉस्ट सेंटरनिहाय SAP या कार्यप्रणालीमध्ये नॅशनल म्युनिसिपल अकौंटिंग मॅन्युअल (NMAM) च्या तत्त्वांनुसार तयार करण्यात आलेल्या सर्व लेखाशीर्षांच्या संहितीकरणाप्रमाणे (Uniform Codification) उपलब्ध आहेत.

३. सर्व संबंधित सहाय्यक आयुक्त / खाते प्रमुख यांनी त्यांच्या खात्याचे सन २०२१-२२ करिताचे महसुली / भांडवली (प्रकल्प कामे) अर्थसंकल्पीय अंदाजांचे प्रस्ताव तयार करुन महानगरपालिका आयुक्त स्तरावर सादर करावयाच्या कार्यप्रणालीबाबतच्या सूचना खालीलप्रमाणे आहेत.

(i) अर्थसंकल्पीय अंदाजांचे प्रस्ताव फंडनिहाय (Fundwise), फंक्शननिहाय (Functionwise) तसेच Cost / Profit Centre नुसार तयार करावेत व संबंधित सहाय्यक आयुक्त / खाते प्रमुख यांनी त्यांच्या खात्याच्या सर्व Cost / Profit Centre चे प्रस्ताव एकत्रित करुन (Summary) संबंधित प्रमुख लेखापालांच्या अर्थसंकल्प उपविभागाकडे पुढील परिच्छेद ३ मध्ये नमूद केलेल्या वेळापत्रकानुसार एकत्रितपणे (Consolidated) सादर करावेत. असे अर्थसंकल्पीय प्रस्ताव तयार करताना आवश्यकता भासल्यास सन २०२०-२१ ची अर्थसंकल्पीय अंदाजाबाबतची डीव्हीडी / महानगरपालिकेच्या संकेत स्थळावर अर्थसंकल्पीय टॅब अंतर्गत Upload केलेली अर्थसंकल्पीय अंदाजाची पुस्तके संदर्भित करावीत.

(ii) या पूर्वी असे निदर्शनास आले आहे की, भांडवली खर्चासाठी आवश्यकते पेक्षा जास्त अंदाज / तरतुदी करण्याकडे खात्यांचा कल असतो. परंतु प्रत्यक्षात भांडवली खर्च खुपच कमी प्रमाणात केला जातो. परिणामत: विविध स्तरावरील रोषांना सामोरे जावे लागते. त्यामुळे सन २०२०-२१ चे सुधारित अंदाज व सन २०२१-२२ चा अर्थसंकल्पीय प्रस्ताव सादर करताना खात्याने खर्च करण्याची क्षमता, मागील ३ आर्थिक वर्षांच्या तसेच चालू वर्षाच्या सहामाहीच्या प्रत्यक्ष खर्चाचा आढावा घेऊन तद्नुसार अर्थसंकल्पीय तरतुदी प्रस्ताविण्यात याव्यात.

(ii-a) या पूर्वी एकाच खात्याचे शहर, पश्चिम उपनगरे व पूर्व उपनगरे असे तीन वेगवेगळे प्रस्ताव सादर करण्यात येत होते, उदा. उपप्रमुख अभियंता रस्ते (शहर), उपप्रमुख अभियंता रस्ते (पश्चिम उपनगरे) आणि उपप्रमुख अभियंता रस्ते (पूर्व उपनगरे). नवीन कार्यप्रणालीनुसार प्रत्येक खात्याला स्वतंत्र कोड देण्यात

आला असून त्यांनी त्यांच्या खात्याचा एकच एकत्रित प्रस्ताव फंक्शन एरियानुसार, कॉस्ट सेंटरनुसारखाते प्रमुखांच्या स्वाक्षरीने सादर करावा.

(iii) **महसुली उत्पन्नाचे प्रस्ताव सादर करताना सर्व खात्यांनी त्यांच्या अखत्यारितील लेखाशिर्षांमध्ये जमा करण्यात येणाऱ्या शुल्क / आकार इत्यादीबाबतीत शेवटची सुधारणा (Last Revision) कधी करण्यात आली आहे त्याचा दिनांक नमूद करणे आवश्यक आहे. तसेच सर्व खात्यांनी त्यांच्या खात्यामार्फत वसूल करण्यात येणाऱ्या सर्व प्रकारच्या शुल्क/ आकार इत्यादीबाबतची परिपत्रके / अनुसूची देखील सोबत जोडणे आवश्यक आहे.**

(iv) असे निदर्शनास आले आहे की, काही खात्यांच्या बाबतीत सन २०२०-२१ करिता महसुली खर्चासाठी उदा. आस्थापना खर्च, प्रशासकीय खर्च अंतर्गत टपाल खर्च, दूरध्वनी, वीज देयके इत्यादी, प्रचलन व परिरक्षण खर्च अंतर्गत सर्वसाधारण दुरुस्त्या, मेडीसीन, ड्रग्ज इत्यादीसाठी केलेली तरतूद अपुरी पडल्यामुळे तरतुदीच्या पुनर्वाटपाचे / निधी स्थानांतरणाचे / आकस्मिकता निधीचे प्रस्ताव त्यांना सादर करावे लागत आहेत. अतएव, सन २०२१-२२ करिता अशा बाबींसाठी तरतूद प्रस्ताविताना दिनांक ३० सप्टेंबर, २०२० पर्यंत झालेला प्रत्यक्ष खर्च (यामध्ये पुनर्वाटप / निधी स्थानांतरण / आकस्मिकता निधी या पध्दतीने केलेला खर्चही अंतर्भूत करावा) विचारात घ्यावा. जेणेकरुन, आगामी वर्षात निधीच्या पुनर्वाटपासाठी /स्थानांतरणासाठी / आकस्मिकता निधीतून तरतूद उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याची आवश्यकता भासणार नाही. विशेषत: करनिर्धारक व संकलक, प्रमुख रुग्णालये, उपनगरीय रुग्णालये, प्रमुख अभियंता (घन कचरा व्यवस्थापन) आणि प्रमुख अभियंता (रस्ते व वाहतूक) / उपप्रमुख अभियंता (आरोग्य पायाभूत सुविधा कक्ष) व विभाग कार्यालये यांचे सदर बाबींकडे लक्ष वेधण्यात येत आहे.

(v) महानगरपालिका मुद्रणालय, प्रतिरुप मुद्रणालय, महानगरपालिका विद्युत धुलाई केंद्र, महानगरपालिका कार्यशाळा, महानगरपालिका ओतशाळा, कार्यकारी अभियंता (परिवहन), जनसंपर्क अधिकारी, मटेरियल टेस्टींग लॅब, अस्फाल्ट प्लॅन्ट इत्यादींमार्फत पुरविल्या जाणाऱ्या खात्यांतर्गत सेवांसाठी सन २०२१-२२ चे प्रस्ताव संबंधित खात्यांनी तयार करताना सर्व उपयोगकर्त्या खात्यांना सेवा पुरविण्यासाठी लागणाऱ्या खर्चाची पुरेशी तरतूद प्रस्तावावी. अतएव, उपयोगकर्त्या खात्यांनी अशा खात्यांतर्गत सेवांच्या खर्चासाठी त्यांच्या खात्याखाली स्वतंत्र तरतूद प्रस्ताविण्याची आवश्यकता नाही परंतु त्यांना आगामी वर्षभरात लागणाऱ्या सेवांची माहिती खात्यांतर्गत सेवा पुरविणाऱ्या संबंधित खात्यांना सादर करणे आवश्यक आहे.

यासाठी वर्ष २०१८-१९ व २०१९-२० मध्ये खात्यांतर्गत सेवा पुरविणाऱ्या खात्यांकडून पालिकेतील ज्या ज्या खात्यांना सेवा पुरविण्यात आल्या त्यांचा संपूर्ण सविस्तर तपशील सेवेच्या खर्चासह सादर करावा. त्याच बरोबर चालू वर्षी म्हणजेच २०२०-२१ मध्ये एप्रिल २०२० ते सप्टेंबर २०२० पर्यंत कोण कोणत्या खात्यांना सेवा पुरविण्यात आल्या व त्यांचा खर्च खात्यांतर्गत सेवा पुरविणाऱ्या खात्यांनी सादर करणे बंधनकारक राहिल. या खर्चाच्या आधारे सन २०२१-२२ मध्ये

खात्यांतर्गत सेवा पुरविणाऱ्या खात्यांना खर्चासाठी तरतूद उपलब्ध करुन देण्यात येईल याची कृपया नोंद घ्यावी.

(vi) सन २००९-१० या आर्थिक वर्षापासून लेखा संकेतांक - २२०२१९९०० (संकीर्ण छपाई आणि लेखन सामग्री) करीता सर्व खात्यांतर्गत अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्याचेही बंद करण्यात आले आहे. त्यामुळे यापुढे संकीर्ण छपाईकरीता कोणत्याही खात्याने त्यांच्या आगामी वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या प्रस्तावात तरतूद प्रस्ताविण्याची आवश्यकता नाही.जर एखाद्या खात्यास बाहेरुन काही तातडीची व महत्वाची किरकोळ छपाई करुन घेणे आवश्यक असेल तर सदर खात्यांनी त्यासाठी महापालिका मुद्रणालयाची पूर्व परवानगी घ्यावी व त्यानंतर बाहेरुन केलेल्या छपाईच्या कामांची देयके महापालिका मुद्रणालयाकडे अधिदानाकरिता सादर करावीत.

(vi-a) विविध विभाग / खाते यांना संगणक / प्रिंटर इत्यादी बाबी खरेदी करण्यासाठी माहिती व तंत्रज्ञान खात्यांतर्गत एकत्रित तरतूद करण्यात येत होती. तथापि, सन २०१३-१४ च्या अर्थसंकल्पीय वर्षापासून माहिती व तंत्रज्ञान खात्यांतर्गत एकत्रित तरतूद करण्यात येत नाही. त्यामुळे ज्या खात्यांना आगामी वर्षात संगणक, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, फॅक्स इत्यादीबाबींची खरेदी करावयाची असेल तर त्याकरीता सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मंजुरीने भांडवली कामाच्या संबंधित लेखा शिर्षांतर्गत तरतूद प्रस्ताविण्याची दक्षता घेण्यात यावी. तसेच संगणकांसाठी लागणाऱ्या काट्रिजेस इत्यादीबाबींसाठी महसुली अर्थसंकल्पात संबंधित लेखाशिर्षात पुरेशी तरतूद प्रस्ताविण्याची देखील दक्षता घेण्यात यावी.

(vi-b) Material Management Module अंतर्गत खरेदी करावयाच्या वस्तुंसाठी संबंधित लेखाशिर्षामध्ये पुरेशी तरतूद करण्यात यावी असे स्पष्ट निर्देश मागील काही वर्षापासून देण्यात येत आहेत. तरी देखील अनेक खात्यांकडून याबाबतची दक्षता न घेण्यात आल्यामुळे पुनर्वाटपाचे प्रस्ताव सादर करण्यात येतात हे आर्थिक शिस्तीच्या दृष्टीकोनातून योग्य नाही. तसेच यामुळे विनाकारण प्रशासकीय कामात वाढ होते व वेळेचा अपव्यय होतो.

सदर परिस्थितीचा विचार करता, सन २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजामध्ये भांडारासाठी खरेदी करावयाच्या विविध वस्तुंसाठी तरतूद प्रस्तावताना परिपत्रक क्र.प्रले(वि)/एफएआर/२ दि.१०.०४.२०१२ मधील मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोरपणे अवलोकन करावे तसेच Material Management Module अंतर्गत त्यांच्या खात्याशी संबंधित लेखा शीर्षांची संचालक (माहिती व तंत्रज्ञान) खात्याकडून खातरजमा करावी आणि सन २०१९-२० मध्ये करण्यात आलेल्या विविध वस्तुंच्या खरेदीपोटी करण्यात आलेल्या खर्चाचा आढावा घेऊन त्याप्रमाणे योग्य त्या लेखा संकेतांकांतर्गत तरतुदी प्रस्ताविण्यात याव्यात. त्यामुळे आगामी वर्षी पुनर्वाटपाद्वारे निधी उपलब्ध करुन देण्याची गरज भासणार नाही. सर्व खाते प्रमुखांनी/सहाय्यक आयुक्तांनी या सुचनेचे काटेकोरपणे पालन करावे.

(vi-c) मालमत्ता कर / अकृषिकर आणि इतर निर्धारित करांच्या थकबाकीच्या अधिदानाकरीता अतिरिक्त तरतूद उपलब्ध करून देण्याचे अनेक प्रस्ताव सन २०१५-१६ ते २०१७-१८ मध्ये प्राप्त झाले होते. अकृषिकर आणि इतर निर्धारित करांच्या अधिदानाकरीता मोठया प्रमाणात पुनर्वाटपाद्वारे / आकस्मिकता निधीमधून तरतूद उपलब्ध करून द्यावी लागली होती. त्यामुळे सन २०२१-२२ मध्ये मालमत्ता कर /

अकृषिकर आणि इतर निर्धारित करांच्या अधिदानासाठी तरतुदी प्रस्तावितांना सर्व खात्यांनी करनिर्धारण व संकलन खात्याशी तसेच शासनाच्या संबंधित कार्यालयांशी संपर्क साधून त्यांच्या अखत्यारितील सर्वकरांच्या थकबाकीचे तसेच सन २०२१-२२ मधील मालमत्ता कर / अकृषिकर आणि इतर निर्धारित करांचे परिगणन करून योग्य त्या लेखाशिर्षांतर्गत पुरेशी तरतूद प्रस्ताविण्याची दक्षता घ्यावी. सन २०२१-२२ मध्ये मालमत्ता कर / अकृषिकर आणि इतर निर्धारित करांच्या थकबाकीसाठी कोणत्याही परिस्थितीत पुनर्वाटपाद्वारे / आकस्मिकता निधीमधून अतिरिक्त तरतूद उपलब्ध करून देण्यात येणार नाही याची नोंद सर्व खाते प्रमुखांनी घ्यावी. तसेच काही प्रकरणी सदर कामासाठी आवश्यकतेपेक्षा भरपुर जास्त प्रमाणात तरतूद करुन नंतर त्यातून पुनर्वाटप करण्याचे प्रस्ताव सादर केले जातात ही बाब सुद्धा अर्थसंकल्पीय शिस्तीला धरुन नाही.

(vi-d) शासन परिपत्रक क्र.संकिर्ण २०१७/प्र.क्र.(२०८/१७) सहा. दि.१७.११.२०१७ या अन्वये खालीलप्रमाणे सुचित केले आहे की, ‘जन माहिती अधिकाऱ्याने, माहिती अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर, १० व्या दिवसापर्यंत माहितीच्या शुल्काची रक्कम अर्जदारास टपाल पृष्ठसंख्या व टपालखर्चासह, जलदगती टपालाने तपशीलवार कळवावी. तसेच सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांनी त्यांच्या कार्यालयातील माहिती अधिकाराशी संबंधीत पत्रव्यवहाराचा तपशीलवार आढावा घेऊन माहिती अधिकार अधिनियमांतर्गत होणाऱ्या पत्रव्यवहारासाठी दरवर्षी आवश्यक आर्थिक तरतूद करावी’. त्यानुसार महसूली अर्थसंकल्पात सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षामध्ये नवीन लेखा संकेतांक २२०८००८०१ (Expenses on account of Right to Information Act) तयार करण्यात आला असून सदर लेखा संकेतांकात सन २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात आवश्यक ती तरतूद करण्यात यावी.

(vii) **महसुली स्वरुपाच्या दैनंदिन खर्चासाठी अर्थसंकल्प ‘अ’ (फंड कोड ११,१२,६०,७०), ‘ब’ (फंड कोड २१,२२,२३) व ‘ई’ (फंड कोड ३०) च्याबाबतीत मुद्दा क्र.१ विचारात घेऊन सन २०२१-२२ या वर्षासाठीचे महसुली खर्चाचे प्रस्ताव सादर करावेत.** मात्र, अपवादात्मक परिस्थितीत वाढीव तरतूद आवश्यक असल्यास त्याबाबतचे समर्थन व स्पष्टीकरण स्वतंत्र प्रस्तावात नमूद करुन त्यास संबंधित अतिरिक्त आयुक्त / आयुक्त यांची प्रशासकीय मंजुरी प्राप्त करुन सदर प्रस्ताव विहित वेळेत प्रमुख लेखापाल (वित्त) खात्याच्या अर्थसंकल्प उपविभागास सादर करावेत. त्यानंतर सादर केलेले प्रस्ताव अर्थसंकल्पीय तरतुदींच्या दृष्टीकोनातून विचारात घेतले जाणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

(viii) नॅशनल म्युनिसिपल अकौंटिंग मॅन्युअलमधील (NMAM) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार जी कामे ‘असेट्स’ निर्माण (Asset Creation) करत नाहीत त्यांचा अंतर्भाव प्रकल्प कामाखाली करता येत नाही. अतएव, अशी कामे आता महसुली अर्थसंकल्पांतर्गत प्रस्ताविण्यात यावीत. तसेच किरकोळ दुरुस्त्या व परिरक्षणाच्या कामासाठीदेखील प्रकल्प कामांतर्गत तरतूद न प्रस्ताविता महसुली अर्थसंकल्पात प्रस्ताविण्यात यावी.

(viii-a) जंगम मालमत्ता (Moveable Assets) खरेदीसाठी उदा.फॅक्स मशिन, फर्निचर, यंत्रे व संयंत्रे, वाहने इत्यादींच्या खरेदीसाठी सादर करावयाच्या प्रस्तावात अंतर्भूत करावयाच्या कामांसाठी ४ या सिरीजने सुरु होणारे स्वतंत्र ९ अंकी लेखा संकेतांक (G. L. Code) देण्यात आले आहेत. तथापि, सदर स्वतंत्र लेखाशिर्षात तरतूद न प्रस्ताविता संबंधित बाबीच्या ४ सिरीज अंतर्गत मुख्य लेखाशिर्षात उदा.- १ सर्व प्रकारचे फर्निचर व विद्युत उपकरणे (कॅबिनेटस कपाटे, खुर्च्या, टेबल्स, गाद्या / खाट, ट्रॉली, रायटींग बोर्ड, लॉकर्स, इतर फर्निचर आणि फिक्चर्स, पंखे, विद्युत उपकरणे इत्यादी तत्सम बाबींकरिता) लेखा संकेतांक ४१०७००००००, उदा.- २ कार्यालय आणि इतर साधनसामग्रीकरीता (संगणक, प्रिंटर्स, फेरिफेरल्स, प्रशितने, वॉटर प्युरिफायर इत्यादी तत्सम बाबींकरिता लेखा संकेतांक ४१०६००००० इ. अंतर्गत तरतुदी प्रस्ताविण्यात याव्यात. संबंधित खात्यानी ज्या बाबींची खरेदी करावयाची आहे ती बाब ४ सिरीज अंतर्गत कोणत्या मुख्य लेखाशिर्षात समाविष्ट आहे. याबाबत प्र.ले. (वित्त) खात्याच्या लेखा अधिकारी एफएआर/अर्थसंकल्प उपविभागाशी संपर्क साधून खातरजमा करुन तरतुदी प्रस्तावाव्यात. सन २०१९-२० व २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजात सर्व रुग्णालयांना अशाप्रकारे तरतुदी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. सर्व खात्यांनी आरोग्य खात्याच्या निधी संकेतांक - १२ भांडवली अर्थसंकल्पीय पुस्तकातील तरतुदीचे अवलोकन करून त्यानुसार तरतुदी प्रस्ताविण्यात याव्यात.

(viii-b) विविध खात्यांमार्फत यंत्र सामग्री यांच्या खरेदीसाठी करण्यात येणाऱ्या तरतुदींच्या अनुषंगाने असे निदर्शनास येते की, यंत्रे व संयत्रे यांच्या खरेदीसाठी प्रथमत: अर्थसंकल्पीय तरतुदी करण्यात येतात व प्रतिवर्षी १ एप्रिलनंतर त्या यंत्राचे तपशील (Specifications) अंतिम करण्यात येतात. त्यामुळे बहुतांशवेळी ज्या बाबींसाठी अर्थसंकल्पीय अंदाजात तरतुदी करण्यात येतात त्या खरेदी न करता त्याऐवजी इतर यंत्र सामग्रीची खरेदी सदर तरतुदीमधून करण्यात येते.

तसेच काही खात्याच्या बाबतीत उदा.प्रमुख अग्निशमन अधिकारी, रुग्णालये, इत्यादींच्याबाबतीत अर्थसंकल्पीय तरतूद प्रस्ताविण्यापूर्वी यंत्राचे तपशील (Specifications) अंतिम झालेले नसतात तसेच सदर यंत्र सामग्रीची खरेदीची प्रक्रिया दीर्घकालीन असल्यामुळे सर्व प्रक्रिया पार पाडून, यंत्र सामग्रीच्या खरेदीसाठी कार्यादेश देण्यास विलंब होतो.त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षात संबंधित लेखाशिर्षामध्ये खर्चाचे दायित्व नोंद होते. तथापि, त्याच आर्थिक वर्षात सदर यंत्राची प्रत्यक्ष प्राप्ती (Delivery) न होता बहुतांशवेळी आगामी आर्थिक वर्षात सदर यंत्र सामग्री प्राप्त होते. मात्र, त्या वर्षात संबंधित लेखाशिर्षात आर्थिक तरतूद उपलब्ध नसल्यामुळे सदर यंत्र सामग्रीच्या खरेदीचे अधिदान करण्यास अडचण निर्माण होते. तसेच काही बाबतीत यंत्र सामुग्री परदेशातुन आयात केल्या जातात व त्याकरिता L. C. (Letter of Credit) द्वारे अधिदान होते. अशा वेळेस बँकेचे Advise मागवून वेळोवेळी सॅप प्रणालीमध्ये (Miro/Migo/Service Entry sheet) पदस्थापित करणे आवश्यक आहे. सदर खर्च सॅप प्रणालीमध्ये त्याच आर्थिक वर्षात पदस्थापित करताना आवश्यक तो निधी उपलब्ध नसल्याने संबंधित लेखाशिर्षात निधी स्थानांतरणाद्वारे / आकस्मिकता निधीतून तरतूद उपलब्ध करून द्यावी लागते. म्हणजेच एका यंत्र सामग्रीच्या खरेदीसाठी दोन वेळा अर्थसंकल्पीय तरतूद उपलब्ध करून

देणे भाग पडते. ही बाब अर्थसंकल्पीय शिस्तीच्या दृष्टीकोनातून योग्य नाही. त्यामुळे याबाबतीत सुसूत्रता आणण्याच्या दृष्टीकोनातून आगामी अर्थसंकल्पीय वर्षात यंत्र सामग्रीची खरेदी करीता तरतूद करण्यासाठी पुढील कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्यात यावा.

अ) आगामी आर्थिक वर्षात खरेदी करावयाच्या यंत्र सामग्रीचे तपशील (Specifications) तयार करून प्रचलित पध्दतीनुसार सदर तपशील (Specifications) अंतिम करण्यात यावेत.

ब) सदरचे तपशील (Specifications) अंतिम करताना निविदा मागविल्यानंतर त्यास कमीत कमी ४ ते ५ प्रतिसाद प्राप्त होतील अशा पध्दतीने ते तयार करण्यात यावेत.

क) गेल्या दोन तीन वर्षामध्ये सदर यंत्र सामग्री कोणत्या किंमतीने खरेदी करण्यात आली याचा तसेच सध्याचा बाजारभाव व इतर खात्यांनी देखील सदर यंत्राची खरेदी केली असल्यास त्यांच्या किंमतीबाबतचा विचार करून यंत्र सामग्रीची अंदाजित किंमत ठरविण्यात यावी.

उपरोक्त 'अ' ते 'क' मध्ये नमूद केलेल्या बाबी नमूद करून अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्याकरीता संबंधित अतिरिक्त आयुक्त यांची मंजुरी प्राप्त करावी व सदर मंजुरीच्या अनुषंगाने अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्यात यावा.

(ix) सन २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजात ५ सिरीजखाली प्रकल्प कामांसाठी करण्यात आलेल्या तरतुदीपैकी काही तरतूद ४ सिरीज खाली वर्ग करणे आवश्यक झाल्यास, सन २०२०-२१ चे सुधारित अंदाजसादर करताना ५ सिरीजमधील अशा प्रकल्प कामांची उर्वरित तरतूद तसेच ४ सिरीज खाली वर्ग केलेली तरतूद विचारात घ्यावी.

(x) चालू आर्थिक वर्षात पुनर्वाटपाद्वारे / स्थानांतरणाद्वारे / आकस्मिकता निधी मधून उपलब्ध करून दिलेल्या तरतुदींचा समावेश सन २०२०-२१ चे सुधारित अंदाज सादर करताना करावा.

(xi) जी प्रकल्प कामे अनुदाने व कर्जे यातून करण्यात येत/येणार असतील त्या कामांच्याबाबतीत अभिप्रायाच्या रकान्यात ती कोणत्या अनुदानातून/कर्जातून करण्यात येत/येणार आहेत, याबाबत अभिप्राय देण्यात यावेत. तसेच एकूण अर्थसंकल्पीय तरतुदीपैकी किती टक्के अनुदाने/कर्जे आहेत याचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात यावा.

(xii) प्रकल्प कामांचे प्रस्ताव तयार करताना उपरोक्त (viii) मध्ये नमूद केलेली कार्यप्रणाली लक्षात घ्यावी. महसुली उत्पन्न व खर्चाचे प्रस्ताव सोबत जोडलेल्या प्रपत्रांमध्ये सादर करणे आवश्यक आहे. तसेच, अर्थसंकल्प 'अ' (फंड कोड ११,१२,६०,७०), 'ब' (फंड कोड २१,२२,२३) आणि 'ई' (फंड कोड ३०) च्या प्रगतीपथावरील प्रकल्प कामांकरीता सोबतचे सुधारित नमुना प्रपत्र क्रमांक १ आणि नवीन प्रकल्प कामांकरीता नमुना प्रपत्र क्रमांक २ लक्षात घ्यावीत. या संदर्भात असे निदर्शनास आले आहे की, सदर प्रपत्रातील प्रकल्प कामांच्या नियोजनाबाबतचा तपशील बहुतांशी खात्यांकडून पूर्णपणे भरला जात नाही. तरी याबाबतचा तपशील (प्रपत्र क्र.१ रकाना क्र.२३ ते २७ आणि प्रपत्र क्र.२ रकाना क्र.१७ ते २१ सह) पूर्णपणे नमूद करावा.

(xiii) प्रचलित पध्दतीनुसार प्रगतीपथावर असलेली कामे तसेच नवीन कामे यांचे प्रस्ताव प्रभाग समितींच्या शिफारशीसाठी सादर केले जातात. प्रगतीपथावरील कामांसाठी पूर्वीच प्रभाग समितीच्या शिफारशी घेतल्या असल्याने व ही कामे स्थायी समिती /महानगरपालिकेच्या मंजूरीनंतरच सुरु केली जात असल्याने प्रगतीपथावरील कामांच्या बाबतीत पुन्हा किंवा दरवर्षी प्रभाग समितीची शिफारस घेणे आवश्यक नाही. अतएव, फक्त नवीन कामाचे प्रस्ताव प्रभाग समितींच्या शिफारशीसाठी पाठविण्यात यावेत.

भांडवली खर्चांच्या कामांबाबत मान.आयुक्तांनी परिपत्रक क्र.CA(F)/Exp/१३ दि.११.०७.२०१९ अन्वये खालीलप्रमाणे आदेश दिले आहेत –

(i) In the ensuing year's budget, the proposals for lumpsum provision for capital works is to be submitted by considering the provision for current year ongoing works and provision proposed for new works in ensuing year with their work-list alongwith their work preferences.

(ii) Each and every work should have distinct estimated cost and distinct budget provision. For creating separate G.L. Codes, the Central Agency department may club expenditure of all works of their department in the ward and propose total budget provision for their works in the Ward. HoD's of Central Agency should take cognizance of this instructions while submitting such proposal to Ward Committee.

सदर आदेशांचे काटेकोरपणे पालन करून सन २०२१-२२ चे अर्थसंकल्पीय प्रस्ताव सादर करावेत.

(xiv) अर्थसंकल्पीय अंदाजात महिला व मुले यांना केंद्रस्थानी ठेवून केलेल्या तरतुदी 'जेंडर बजेट'खाली स्वतंत्रपणे दर्शविण्यात येतात. याच धर्तीवर सन २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजातील महिलाकेंद्रित तरतुदी 'जेंडर बजेट' अंतर्गत स्वतंत्रपणे दर्शविण्यात येणार असल्याने महिलांच्या विकासासाठी शिक्षण, आरोग्य व व्यवसायशिक्षण या क्षेत्रातील राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांसाठी सन २०२१-२२ मध्ये करावयाच्या तरतुदी स्वतंत्रपणे दर्शविण्यात याव्यात.

त्याचप्रमाणे महिला सक्षमीकरणासाठी महानगरपालिकेच्या बंधनकारक व स्वविवेकाधीन कर्तव्यांच्या मर्यादेत राहून महिलांकरिता एखादी नवीन योजना राबवावयाची / अंमलात आणावयाची असेल तर त्यासाठी सक्षम प्राधिकाऱ्यांची मंजुरी घेऊन सदर योजनेसाठीतरतूद प्रस्ताविण्यासाठी यथोचित अर्थसंकल्पीय प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक आहे. तसेच असे अर्थसंकल्पीय प्रस्ताव सहाय्यक आयुक्त (नियोजन) यांच्या मार्फत सादर करणे आवश्यक आहे.

(xv) केंद्र शासनाने दिव्यांग व्यक्तींच्या कल्याणासाठी दिव्यांग व्यक्तींसाठी समान संधी संरक्षण व समान सहभाग कायदा, १९९५ दि.०१.०१.१९९६ पासून लागू केला आहे. सदर कायद्यातील कलम ४० अन्वये शासन परिपत्रक क्र.दिव्यांग२०१८/प्र.क्र./५२/२०१८/नवि-२८ दि.१० मे २०१८ मधील तरतुदीनुसार सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी आपल्या अर्थसंकल्पात दारिद्रय निर्मूलन

कार्यक्रमांतर्गत दिव्यांगासाठी किमान ५ टक्के निधी राखीव ठेवण्याबाबत तात्काळ कार्यवाही करावी असे निर्देश दिलेले आहेत. त्याअनुषंगाने खात्याने तरतुदी प्रस्तावाव्यात.

शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.४३/१६/नवि-२८ दि.१४.११.२०१७ अन्वये असे निर्देश देण्यात आले आहेत की, ''दिव्यांगांसाठी राखुन ठेवण्यात आलेला ५ टक्के निधी इतर प्रयोजनार्थ न वळविता नागरी भागातील दिव्यांगांसाठीच खर्च करणे अनिवार्य राहील. सदर निधीचे पुनर्विनोजन करता येणार नाही व सदर निधी रद्द ही करता येणार नाही. म्हणजेच ज्या वर्षासाठी निधी राखीव ठेवला तो त्याच वर्षात उपरोक्त नमूद प्रयोजनासाठी खर्च करणे आवश्यक राहील.'' तदअनुषंगाने संबंधित खात्याने योग्य ती खबरदारी घ्यावी.

तसेच शासन निर्णय क्र.संकिर्ण-२०१५/प्रक्र/११८/नवि -२० मंत्रालय दि.२८ ऑक्टोबर २०१५ अन्वये दिव्यांग व्यक्तींसाठी राखीव ठेवण्यात आलेला निधी नागरी भागातील दिव्यांगांसाठी खर्च करण्याकरीता मार्गदर्शक सूचना प्रसृत केल्या आहेत.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inया संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक – २०१५१०२८१७०५२७१७२५ असा आहे. तसेच त्याची प्रत अर्थसंकल्प उपविभागात देखील उपलब्ध आहे. सर्व खाते प्रमुखांनी / सहाय्यक आयुक्तांनी सदर शासन निर्णयाच्या प्रतीचे अवलोकन करून त्यांच्याशी संबंधित बाबींकरीता अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यासाठी सहाय्यक आयुक्त (नियोजन) यांच्याकडे प्रस्ताव सादर करावा. सहाय्यक आयुक्त (नियोजन) यांनी त्यानुसार सदर बाबींसाठी त्यांच्या खात्यांतर्गत दारिद्रय निर्मूलन कार्यक्रमांतर्गत नवीन लेखाशिर्ष निर्माण करून त्यामध्ये विशिष्ट तरतुदी प्रस्ताविण्याची दक्षता घ्यावी.

महानगरपालिकेत नियुक्त झालेल्या/होणाऱ्या अंध/क्षीणदृष्टी कर्मचाऱ्यांना शासनाच्या निदेशानुसार सहाय्यक तंत्रज्ञान/उपकरणे उपलब्ध करून द्यावयाची आहेत व यासाठी होणाऱ्या खर्चाची तरतूद अर्थसंकल्पात स्वतंत्रपणे करावयाची आहे. त्याअनुषंगाने संबंधित खाते / विभाग प्रमुखांनी /सहाय्यक आयुक्तांनी त्यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध करून द्यावयाच्या उपकरणासाठीची तरतूद त्यांच्या खात्याच्या आगामी अर्थसंकल्पात शासनाच्या निदेशानुसार स्वतंत्र शिर्षाखाली करणे आवश्यक आहे.

(xvi) सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षापासून विकास आराखडयाशी सुसंगत (Convergence) अर्थसंकल्पीय अंदाज तयार करण्यात आले आहेत. त्याअनुषंगाने क्र.सीए/एफडीटी/२१ दि.३०.११.२०१६ अन्वये प्रसृत केलेल्या परिपत्रकातील मार्गदर्शक सूचनांन्वये प्रस्तावित विकास आराखडयाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेला निधी विशेषत्वाने उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षापासून सुरू करण्यात आली आहे.

सन २०२१-२२ मध्ये देखील विकास आराखडयाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेला निधी उपलब्ध करून द्यावयाचा असल्याने क्रमांक सीए/एफडीटी/२१ दि.३०.११.२०१६ अन्वये प्रसृत केलेल्या मार्गदर्शक सूचना संदर्भित कराव्यात. त्यानुसार महानगरपालिकेच्या रिक्त जागांवरील आरक्षणांचा विकास करण्याच्या दृष्टीने संबंधीत खात्यांनी सन २०२१-२२च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजात

तरतूदी प्रस्ताविणे आवश्यक आहे. विकास आराखडयाच्या अंमलबजावणीचा मागोवा ठेवण्याच्या दृष्टीने असे ठरविण्यात आले आहे की, प्रत्येक खात्याने त्यांचे अर्थसंकल्पीय अंदाज दोन भागांमध्ये उदा.भांडवली खर्च (CAPEX) व बिगर भांडवली खर्च (NON CAPEX) तयार करावेत. भांडवली खर्चामध्ये समाविष्ट करावयाच्या बाबींमध्ये विकास आराखडयात असलेल्या आरक्षणनुसार महानगरपालिका मालमत्ता (Municipal Assets) तयार होतील अशा नवीन विकास कामांसाठी तरतूद प्रस्ताविण्यात यावी. बिगर भांडवली खर्चामध्ये (NON CAPEX) दुरुस्त्या, परिरक्षण, पुनर्विकास, अंतर्गत सजावटी इत्यादी करीता तरतुदी प्रस्ताविण्यात याव्यात.

सर्व खात्यांनी सन २०२१-२२ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज प्रस्तावितांना उपरोक्त नमूद पध्दतीनेच अर्थसंकल्पीय अंदाज तयार करावेत. कार्य करणारी खाती व विकास आराखडयातील आरक्षणानुसार संभाव्य नवीन विकास कामे यांची यादी या परिपत्रकासमवेत D.P.Annexure – A मध्ये जोडण्यात आली आहे. विकास आराखडयातील आरक्षणाच्या प्रस्तावित विकासाबाबत मागोवा घेण्यासाठी भांडवली खर्चामध्ये (CAPEX) प्रस्तावित केलेल्या नवीन कामांची यादी परिपत्रकासोबत जोडलेल्या D.P.Annexure – B प्रपत्रात भरुन देणे आवश्यक आहे व त्यांची एक प्रत प्रमुख अभियंता (विकास नियोजन) यांचेकडे सादर करणे आवश्यक आहे.

(xvii) सन २०२०-२१ चे सुधारित व सन २०२१-२२ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज सादर करताना सहाय्यक आयुक्त / खाते प्रमुखांनी मान.महानगरपालिका आयुक्त यांच्या सन २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पीय निवेदनामध्ये उल्लेख केलेल्या विविध (M.C.'s Speech on Budget) योजनांचा अभ्यास करून सदर योजनेअंतर्गत करण्यात आलेल्या / करावयाच्या कामांकरीता / खर्चाकरीता योग्य त्या लेखा संकेतांकांतर्गत आवश्यक ती तरतूद करण्यात यावी.

(xviii) सन २०२०-२१ चे सुधारित अंदाज व सन २०२१-२२ चे भांडवली कामाचे अर्थसंकल्पीय प्रस्ताव सादर करताना ज्या कामांचे कार्यादेश देण्यात आलेले आहेत अशी कामे व प्रगतीपथावर असलेली कामे यांचा प्राधान्याने विचार करून त्यानुसार भांडवली खर्चासाठी तरतूद प्रस्ताविण्याची दक्षता सर्व खात्याने घेणे आवश्यक आहे. कोणत्याही परिस्थितीत आगामी आर्थिक वर्षात पूर्ण झालेल्या तथापि, अर्थसंकल्पीय तरतूद उपलब्ध नसलेल्या कामांसाठी आकस्मिकता निधीतून तरतूद उपलब्ध करून देता येणार नाही याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी व त्यानुसार भांडवली खर्चाचे प्रस्ताव सादर करावेत.

(xix) महसुली अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या प्रस्तावाची छाननी करतेवेळी असे निदर्शनास येते की, अर्थसंकल्पीय तरतूद प्रस्ताविताना ज्या कारणांसाठी / कामांसाठी तरतूद प्रस्ताविण्यात येते, त्या कामांच्या / सेवेच्या / वस्तू खरेदी इत्यादींच्या बाबतीत आवश्यकतेनुसार योग्य ते परिगणन न करता ढोबळपणे अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या तरतुदी प्रस्ताविण्यात येतात. ही बाब आर्थिक शिस्तीच्या दृष्टीकोनातून योग्य नाही. तरी ज्या कामांच्या / सेवेच्या / वस्तू खरेदी इत्यादींच्या बाबतीत अर्थसंकल्पात तरतुदी प्रस्ताविण्यात येणार आहेत त्या प्रस्ताविताना सर्व बाबींची शहानिशा करून येणाऱ्या एकूण खर्चाची अचूक परिगणना करून आवश्यक तेवढीच अर्थसंकल्पीय तरतूद प्रस्ताविण्यात यावी.

(उदा.२२०८००४०० (उपयोजित बाहय सेवांवरील खर्च) - बाहयसेवेंसाठी लागणारे कर्मचारी / कामगार यांची संख्या × सेवेचा कालावधी × सेवेचा दर इत्यादी.)

(xx) **महानगरपालिकेचे अर्थसंकल्पीय अंदाज अंतिम करण्याकरीता विविध प्रकल्प कामांच्या दायित्वाची स्थिती काढणे आवश्यक आहे. तदअनुषंगाने पूर्ण झालेल्या कामांचे, चालू असलेल्या कामांचे व भविष्यात नवीन प्रकल्पांच्या दायित्वाचा तक्ता परिशिष्ठ III (परिशिष्ठ III A ते E सह) नुसार भरावा. सदर माहिती भरताना प्रत्येक लेखा संकेतांक मधील प्रत्येक कामांच्या तपशिलासह माहिती भरून सादर करावे.**

**त्यानुसार योग्य ती खबरदारी घेऊन सर्व खाते प्रमुखांनी सदर आदेशांचे / सुचनांचे पालन करुन खर्च कमी करण्याच्या दृष्टीने आढावा घेऊन अर्थसंकल्पीय प्रस्ताव प्रमुख लेखापाल (वित्त) खात्याच्या अर्थसंकल्प उपविभागास सादर करण्यात यावा.**

४. सन २०२०-२१ चे सुधारित व २०२१-२२ चे अर्थसंकल्पीय प्रस्ताव सादर करण्याचे वेळापत्रक खालीलप्रमाणे आहे :-

(i) परिपत्रक क्र. प्रले/एफडीटी/ ३४ दि.१७.८.२००० मधील परिच्छेद क्र.३ च्या धर्तीवर महसुली खर्चाचे आस्थापना, प्रशासकीय खर्च, व्याज व वित्त आकार महसुली अनुदाने, अंशदाने आणि सवलती इत्यादी लेखाशीर्षाबाबतचे तसेच भांडवली(प्रकल्प) खर्चाचे प्रभाग समितीच्या कक्षेत न येणारे सर्व प्रस्ताव त्याचप्रमाणे महसुली उत्पन्न /भांडवली उत्पन्नाचे आणि आगाऊ रकमा व अनिश्चित लेखा सेवाशीर्षासंबंधीचे सर्व प्रस्ताव संबंधित सहाय्यक आयुक्त/खाते प्रमुख यांनी प्रमुख लेखापाल (वित्त) यांच्या कार्यालयाकडे सादर करावयाचा अंतिम दिनांक ... ... ... **९ ऑक्टोबर, २०२०**

(ii) मुंबई महापालिका अधिनियम १८८८ मधील कलम ५० टीटी (७) (ब) नुसार सर्व सहाय्यक आयुक्त / खाते प्रमुख यांनी त्यांच्या विभागाचे / खात्याचे प्रस्ताव प्रभाग समितीच्या शिफारशींसाठी संबंधित विभागाच्या सहाय्यक आयुक्तांकडे सादर करण्याचा अंतिम दिनांक ... ... ... **९ ऑक्टोबर, २०२०**

(iii) संबंधित सहाय्यक आयुक्त यांनी प्रभाग समितीच्या कार्यक्रमपत्रिकेवर विषय आणून प्रस्तावांवर प्रभाग समितीच्या शिफारशी प्राप्त करुन संबंधित खाते प्रमुखांकडे अभिप्रायांसाठी पाठविण्याचा अंतिम दिनांक ... ... ... **२३ ऑक्टोबर, २०२०**

(iv) संबंधित सहाय्यक आयुक्त / खाते प्रमुख यांनी शिफारसप्राप्त प्रस्ताव त्यांच्या अभिप्रायासह प्रमुख लेखापाल (वित्त) यांच्या कार्यालयाकडे सादर करावयाचा अंतिम दिनांक ... ... ... **२ नोव्हेंबर, २०२०**

५. उपरोक्त परिच्छेद ४ (ii) मध्ये नमूद केल्यानुसार प्रभाग समितीच्या शिफारशींसाठी सादर करावयाचे प्रस्ताव संबंधित विभागाच्या सहाय्यक आयुक्तांकडे दिनांक **९ ऑक्टोबर, २०२०** पर्यंत सादर करावेत व त्याचवेळी त्याची एक प्रत प्रमुख लेखापाल (वित्त) यांच्या अर्थसंकल्प उपविभागाकडे सादर करावी.

**६.** मान.महानगरपालिका आयुक्तांच्या पातळीवर अर्थसंकल्पीय तरतुदीमधून पार पाडावयाच्या प्रकल्प कामांच्या प्रगतीबाबत नियमितपणे आढावा बैठका घेण्यात येत आहेत. सदर बैठकांमध्ये देण्यात येणाऱ्या मार्गदर्शक सूचना/ निर्देश यानुसार सर्व सहाय्यक आयुक्त / खाते प्रमुख यांनी तरतुदी प्रस्ताविण्याची दक्षता घ्यावी.

तसेच सहाय्यक आयुक्त / खाते प्रमुख यांना अशी सूचना करण्यात येते की, आगामी वर्षात अर्थसंकल्पात समाविष्ट करावयाची नवीन कामे ही खात्यांच्या उद्दीष्टांनुसार अत्यंत महत्वाची असली पाहिजेत. ही बाब लक्षात घेऊन खाते प्रमुखांनी अर्थसंकल्पात प्रस्तावयाच्या नवीन कामांपैकी अग्रक्रमाने हाती घ्यावयाची कामे, कामांच्या प्राधान्यानुसार (i.e. Priority-I, Priority-II, Priority-III, etc.) नमूद करावीत.

**७. आगामी वर्षाच्या अर्थसंकल्पामध्ये प्रकल्प कामांसाठी प्रस्ताविण्यात येणाऱ्या ठोक तरतुदीअंतर्गत (Lumpsum Provision) चालू वर्षातील (सन २०२०-२१) प्रगतीपथावरील कामांसाठी (Ongoing works) व आगामी वर्षात (सन २०२१-२२) हाती घ्यावयाच्या नवीन कामांसाठी किती तरतूद प्रस्ताविण्यात आली आहे याचा बाबनिहाय तपशील (कामांची यादी) कामांच्या प्राधान्यानुसार प्रस्तावासोबत देण्यात यावा.**

८. अर्थसंकल्पात समाविष्ट करावयाच्या नवीन प्रकल्प / कामांची एकूण अंदाजित किंमत प्रस्तावांमध्ये नमूद करणे तसेच अशा नवीन प्रस्तावांना संबंधित उप आयुक्त व अतिरिक्त आयुक्त यांची प्रशासकीय मंजुरी प्राप्त करून सदर मंजुरी क्रमांक व दिनांक प्रस्तावामध्ये नमूद करणे आवश्यक आहे.

९. आगामी वर्षाच्या अर्थसंकल्पात समाविष्ट करावयाच्या लोकोपयोगी कामांबाबत सन्माननीय नगरसेवकांना काही सूचना करावयाच्या असल्यास त्या विहित कालावधीत संबंधित खात्याकडे करणे त्यांना शक्य व्हावे यासाठी सदर परिपत्रकाची माहिती सन्माननीय नगरसेवकांना करून देणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने सर्वसहाय्यक आयुक्तांनी सदर परिपत्रकास त्या त्या विभागातील सन्माननीय नगरसेवकांना अवगत होण्यासाठी मोठया प्रमाणात प्रसिध्दी देण्यासाठी त्वरीत कार्यवाही करावी.

१०. सहाय्यक आयुक्त/खाते प्रमुख यांनी उपरोक्त सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करुन प्रभाग समितीच्या कार्यकक्षेत येणारे व प्रभाग समितीच्या कार्यकक्षेत न येणारे प्रस्ताव उपरोक्त परिच्छेद ३ व ४ मध्ये अगोदरच नमूद केलेल्या दिनांकास परिपूर्णप्रस्ताव प्रमुख लेखापाल (वित्त) यांच्या अर्थसंकल्प उपविभागाकडे सादर करावयाचे आहेत.

प्रस्तुत दिनांकापर्यंत प्रस्ताव प्राप्त न झाल्यास त्या खात्याचा कोणत्याही प्रकारचा प्रस्ताव आगामी वर्षाच्या अर्थसंकल्पात समाविष्ट करावयाचा नाही असे गृहित धरण्यात येऊन पुढील कार्यवाही पूर्ण करण्यात येईल.

११. सर्व संबंधित सहाय्यक आयुक्त/खाते प्रमुख यांनी त्यांच्या विभागाच्या / खात्याच्या अर्थसंकल्पीय प्रस्तावासोबत सदर प्रस्तावाची सॉफ्ट कॉपीही (C.D. किंवा Pen Drive मध्ये) सादर करावी.

१२. विविध खात्यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पीय प्रस्तावांबाबत बऱ्याचदा काही स्पष्टीकरण / अतिरिक्त माहिती आवश्यक असते तसेच प्रस्तावात काही बदल / दुरुस्त्या करणे आवश्यक असते किंवा प्रस्तावाशी संबंधित मंजुरीची कागदपत्रे प्राप्त करणेही आवश्यक असते. त्याचप्रमाणे अर्थसंकल्पीय बैठकांच्या वेळापत्रकाबाबत माहिती देण्यासाठीही संबंधित कर्मचाऱ्यांशी तात्काळ संपर्क साधणे आवश्यक ठरते. अतएव, सर्व संबंधित सहाय्यक आयुक्त/खाते प्रमुख यांनी त्यांच्या विभागाच्या/खात्याच्या अर्थसंकल्पीय प्रस्तावात, प्रस्ताव तयार करणाऱ्या संबंधित कर्मचाऱ्यांची नावे व त्यांचे थेट तथा विस्तारित दूरध्वनी क्रमांक, मोबाईल क्रमांक, फॅक्स क्र., व ई-मेल आयडी नमूद करण्याची दक्षता घ्यावी.

१३. सर्व संबंधित सहाय्यक आयुक्त / खाते प्रमुख यांनी त्यांच्या विभागाच्या / खात्याच्या अर्थसंकल्पीय प्रस्तावांची, परिपुर्ण माहिती नवीन कार्यप्रणालीनुसार प्रस्तावात भरताना सदर परिपत्रकातील सूचनांचे तसेच वेळापत्रकाचे काटेकोरपणे पालन करणे आवश्यक आहे.

१४. वरील बाबतीत कोणत्याही प्रकारची अडचण असल्यास संबंधितांनी प्रमुख लेखापाल (वित्त) खात्याच्या अर्थसंकल्प उपविभागाशी संपर्क साधावा.

सही/-२४.०९.२०२०
(प्रदिप भा. पडवळ )
**प्रमुख लेखापाल (वित्त) (प्र.)**

सही/-०१.१०.२०२०
(पी. वेलरासू)
**अतिरिक्त आयुक्त (प्रकल्प)**

---

**परिपत्रक**

**२०२०-२०२१**

क्रमांक : प्रले/एफडीटी/ २६ दि.०१.१०.२०२०

----------------------------------------------यांना प्रत (------------जादा प्रतींसह) माहितीसाठी व योग्य कार्यवाहीसाठी पाठविली आहे.

(जयेश किशोर बारीया)
**प्रमुख लेखापाल (वित्त) यांजकरिता**

*Annexure - A*

**Budget Estimation sheets of Revenue Income of ______________________________ Department for the year 2021-22**

**Department Code** [ ] **Linked Geographic Area Code** [ ]

**Cost Centre Name** [ ] **Linked Geographic Area Name** [ ]

*(Rs. in thousands)*

| Fund Code | Cost Centre Code | Function Code | Function Name | Account Code | Account Head | Actuals 2017-18 | Actuals 2018-19 | Actuals 2019-20 | Budget Estimates 2020-21 | Actuals for the first six month of 2020-21 | Revised Estimates 2020-21 | Explanation for Increase or Decrease of Col.12 Over Col.no.10 | Budget Estimates 2021-22 as per existing rate | Budget Estimates 2021-22 as per Proposed Revision, New Taxes/ Fees etc. | Explanation for Increase or Decrease of Col.14 Over Col.no.12 | Brief Information pertaining to Proposed Revision, New Taxes/ Fees with reference to Col.No.15 | Date of last Revision (Please refer point no.3 (iii) from budget circular) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Total | | | | | | | | | | | | |

*Annexure - B - I*

**Budget Estimation Sheets for Revenue Expenditure of ………………………………………………………………for the year 2021-22**

**Fund Code** ------------
**Cost Centre Name** ------------------------------------------------------------------------
**Cost Centre Code** -----------------------------

**Department Code** -------------------
**Linked Geographic Area Name** -------------------
**Linked Geographic Area Code** -------------------

*(Rs. in thousands)*

| Fund Code | Function Code | Fund Centre Code | Account Code | Account Head | Actuals 2017-18 | Actuals 2018-19 | Actuals 2019-20 | Budget Estimates 2020-21 | Reallocation / Transfer of Grant | Additional Grant (Contingent Fund if any) | Total Fund Available for 2020-21 | Expenditure up to 30/09/2020 | Budget Provision 2021-22 | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 (9+10+11) | 13 | 14 | 15 |
| | | | **210000000** | **Establishment Expences (Other Than Salary)** | | | | | | | | | | |
| | | **e.g.** | 210209913 | Uniform | | | | | | | | | | |
| | | | …. | …. | | | | | | | | | | |
| | | | | **Total Other Than Salary :** | | | | | | | | | | |
| | | | **220000000** | **ADMINISTRATIVE EXPENSES** | | | | | | | | | | |
| | | | …. | …. | | | | | | | | | | |
| | | | | **TOTAL ADMINISTRATIVE EXPENSES** | | | | | | | | | | |
| | | | **230000000** | **OPERATION AND MAINTENANCE EXPENSES** | | | | | | | | | | |
| | | | …. | …. | | | | | | | | | | |
| | | | | **TOTAL OPERATION AND MAINTENANCE EXPENSES** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | **Grand Total :** | | | | | | | | | | |

**Fund Code : ................** निधी संकेतांक :................

**Functionwise Summary of Revenue Expenditure** कार्यनिहाय महसुली खर्चाचा सारांश

**Functionary Code : ................** खाते संकेतांक:................

**Name of the Functionary : ................** कार्य करणारे खाते: ................

**Budgeting Year : 2021-2022** अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०२१-२०२२

(Rs. in Thousands/रुपये हजारात)

| Function Code<br>कार्य संकेतांक | Function<br>Name | Establishment Expenditure<br>आस्थापना खर्च | Administrative Expenditure<br>प्रशासकीय खर्च | Operation & Maintenance<br>प्रचलन आणि परिरक्षण | **TOTAL**<br>एकूण | कार्याचे<br>शीर्ष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 210 | 220 | 230 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | **TOTAL** | | | | | **एकूण** |

**Fund Code:……………..** | **निधी संकेतांक :……..**

**Cost Centerwise Summary of Revenue Expenditure** | **कॉस्ट सेंटरनिहाय महसुली खर्चाचा सारांश**

**Functionary Code : ................** | **खाते संकेतांक : …………**

**Name of the Functionary : ................** | **कार्य करणारे खाते :…………….**

**Budgeting Year : 2021-2022** | **अर्थसंकल्पीय वर्ष : २०२१-२०२२**

(Rs. in Thousands/रुपये हजारात)

| Sr. No. अनु. क्र. | Fund Centre No निधी केंद्र संकेतांक | Fund Centre name | Amount रक्कम | निधी केंद्राचे शीर्ष |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| | | | | |
| | | **Grand Total** | | **एकूण बेरीज** |

**ANNEXURE-I**

# Municipal Corporation of Greater Mumbai

## Budget Estimates For On-Going Project Works For The Year 2021-22

**FUND CODE :**

**NAME OF FUNCTIONARY :** **FUNCTIONARY CODE :**

**NAME OF THE FUNCTION:** **FUNCTION CODE :**

*(Rs.in thousand)*

| G.L Code | Cost Centre Code | Description of the Work | Work Executed by | Asset Class/ Asset Code | Total Contract Period | Contract Cost including Physical/ Cost Contingencies. Water/Sewerage Charges. Taxes & Duties & Supervision charges etc. | Additional cost if any | Total Contract Cost (7+8) | Cumulative expenditure incurred Upto 31.03.2020 | Budget Estimate 2020-21 | Addition / deduction in the grant due to Reallocation / Transfer of Grant | Additional Funds made available during 2020-21 from Contingent Fund , if any | Fund available for 2020-21 (11+12+13) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

*ANNEXURE-I*

**Budget Estimates For On-Going Project Works For The Year 2021-22**

**FUND CODE :**

**NAME OF FUNCTIONARY :** **FUNCTIONARY CODE :**

**NAME OF THE FUNCTION:** **FUNCTION CODE :**

*(Rs.in thousand)*

| Budget consumed upto 30.09.20 | Revised Estimate 2020-21 | Balance Contract Cost (9-10-16) | Budget Estimate 2021-22 | Phasing expenditure 2022-23 2023-24 and After 2024 | Sources of Fund | | Remarks of Concerned Asst. Commissioner / H.O.D. | Implementation Schedule | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Loan Fund | Internal Fund | | Expected date of Tender Opening | Expected date of the issue of work order. | Expected date of Starting the work. | Expected Physical Progress of the work upto 31.03.2022 (in %) | Expected date of work Completion. |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| | | | | | | | | | | | | |

**Municipal Corporation of Greater Mumbai** ***ANNEXURE-II***

## Budget Estimates for New Projects for The Year 2021-22

**FUND CODE :**

**NAME OF FUNCTIONARY :** **FUNCTIONARY CODE :**

**NAME OF THE FUNCTION:** **FUNCTION CODE :**

***(Rs. In thousand)***

| Sr. No | Cost Centre Code | Description of Work | Work Executed by | Asset Class/ Asset Code | Total Contract Period | Estimated Cost including Physical/ Cost Contingencies Water/Sewerage Charges. Taxes & Duties & supervision charges etc. | Budget Estimates 2021-22 | Phasing of Expenditure 2022-23 2023-24 and After 2024 | Sources of Fund | | Remarks of Concerned Asst. Commissioner / H.O.D. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Loan Funds | Internal Fund | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

*ANNEXURE-II*

**Budget Estimates For New Projects For The Year 2021-22**

**FUND CODE :**

**NAME OF FUNCTIONARY :** **FUNCTIONARY CODE :**

**NAME OF THE FUNCTION:** **FUNCTION CODE :**

*(Rs. In thousand)*

| Recommendations of concerned ward committee | | Remarks of concerned Asst. Commissioners / H.O. Deptt. On the recommendations of Ward committee. | | Implementation Schedule | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budget Estimates 2021-22 | Remarks | Budget Estimates 2021-22 | Remarks | Expected date of Tender Opening | Expected date of the issue of work order. | Expected date of Starting the work. | Expected Physical Progress of the work upto 31.03.2022 (in %) | Expected date of work Completion. |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | | | | | | |

ANNEXURE-III

| Statement Showing Liability/ Projection of ……… Deptt. as on 30.09.2020 under Budget A, B & E | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | (Rs.in Crores) |
| Sr. No. | Works Stage | Project Cost including Physical/ Cost Contingencies. Water/Sewerage Charges. Taxes & Duties & Supervision charges etc. | Saving in Project Cost (if any) | Cumulative expenditure incurred Upto 31.03.20 | Balance As On 31.03.2020 (3-4-5) | Budget Estimate 2020-21 | Actual Expenditure upto 30.09.20 | Revised Estimate 2020-21 | Balance (3-4-5-9) | Budget Estimate 2021-22 | Phasing of Expenditure | | | | |
| | | | | | | | | | | | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | After 2025-26 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Work Completed ANNEXURE-III (A) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Ongoing Work ANNEXURE-III (B) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | D.L Stage ANNEXURE-III (C ) | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Tender Invited ANNEXURE-III (D) | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | New / Planning Work ANNEXURE-III (E) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Total | | | | | | | | | | | | | | |

Signature of HOD

ANNEXURE-III (A)

## Statement Showing Liability of ………. Deptt. as on 30.09.2020 under Budget A, B & E

**Work Completed**

**Each and Every G.L. Wise details of works must be submitted.**

(Rs.in Crores)

| Sr. No. | GL Description (Name of Works) | GL code | SCR/ Executive Sanction Number & Date | Contract Period | Project Cost including Physical/ Cost Contingencies. Water/ Sewerage Charges. Taxes & Duties & Supervision charges etc. | Saving in Project Cost (if any) | Cumulative expenditure incurred Upto 31.03.20 | Budget Estimate 2020-21 | Actual Expenditure upto 30.09.20 | Revised Estimate 2020-21 | Balance (6-7-8-11) | Budget Estimate 2021-22 | Phasing of Expenditure | | | | | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | After 2025-26 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Total | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Signature of HOD

ANNEXURE-III (B)

## Statement Showing Liability of ………. Deptt. as on 30.09.2020 under Budget A, B & E

**Ongoing Work**

**Each and Every G.L. Wise details of works must be submitted.**

(Rs.in Crores)

| Sr. No. | GL Description (Name of Works) | GL code | SCR/ Executive Sanction Number & Date | Contract Period | Project Cost including Physical/ Cost Contingencies. Water/Sewerage Charges. Taxes & Duties & Supervision charges etc. | Saving in Project Cost (if any) | Cumulative expenditure incurred Upto 31.03.20 | Budget Estimate 2020-21 | Actual Expenditure upto 30.09.20 | Revised Estimate 2020-21 | Balance (6-7-8-11) | Budget Estimate 2021-22 | Phasing of Expenditure | | | | | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | After 2025-26 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Total | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Signature of HOD

ANNEXURE-III (C)

| Statement Showing Liability/ Projection of ………. Deptt. as on 30.09.2020 under Budget A, B & E | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.L Stage | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Each and Every G.L. Wise details of works must be submitted | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | (Rs.in Crores) |
| Sr. No. | GL Description (Name of Works) | GL code | Admin. Sanction Number & Date | Contract Period | Project Cost including Physical/ Cost Contingencies. Water/Sewerage Charges. Taxes & Duties & Supervision charges etc. | Cumulative expenditure incurred Upto 31.03.20 | Budget Estimate 2020-21 | Actual Expenditure upto 30.09.20 | Revised Estimate 2020-21 | Balance (6-7-10) | Budget Estimate 2021-22 | Phasing of Expenditure | | | | | Remarks |
| | | | | | | | | | | | | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | After 2025-26 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Total | | | | | | | | | | | | | | | | |

Signature of HOD

ANNEXURE-III (D)

| Statement Showing Liability/ Projection of ………. Deptt. as on 30.09.2020 under Budget A, B & E | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tender Invited | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Each and Every G.L. Wise details of works must be submitted | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Rs.in Crores) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sr. No. | GL Description (Name of Works) | GL code | Admin. Sanction Number & Date | Contract Period | Project Cost including Physical/ Cost Contingencies. Water/Sewerage Charges. Taxes & Duties & Supervision charges etc. | Cumulative expenditure incurred Upto 31.03.20 | Budget Estimate 2020-21 | Actual Expenditure upto 30.09.20 | Revised Estimate 2020-21 | Balance (6-7-10) | Budget Estimate 2021-22 | Phasing of Expenditure | | | | | Remarks |
| | | | | | | | | | | | | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | After 2025-26 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Total | | | | | | | | | | | | | | | | |

Signature of HOD

ANNEXURE-III (E)

| Statement Showing Liability/ Projection of ………. Deptt. as on 30.09.2020 under Budget A, B & E | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New / Planning Work | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Each and Every G.L. Wise details of works must be submitted | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Rs.in Crores) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sr. No. | GL Description (Name of Works) | GL code | Admin. Sanction Number & Date | Contract Period | Project Cost including Physical/ Cost Contingencies. Water/Sewerage Charges. Taxes & Duties & Supervision charges etc. | Cumulative expenditure incurred Upto 31.03.20 | Budget Estimate 2020-21 | Actual Expenditure upto 30.09.20 | Revised Estimate 2020-21 | Balance (6-7-10) | Budget Estimate 2021-22 | Phasing of Expenditure | | | | | Remarks |
| | | | | | | | | | | | | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | After 2025-26 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Total | | | | | | | | | | | | | | | | |

Signature of HOD

**D.P. Annexure – 'A'**

**Following User Departments shall make budget provisions in CAPEX part in B.E. 2021-22 for following new developments to be undertaken in the F.Y. 2021-22**

| Sr. No | Department | Probable New Development of D.P. Reservations |
|---|---|---|
| 1 | Ch.Eng. (Roads) | a) Construction of missing links of D.P. Roads<br>b) Construction of Widening of existing roads shown in D.P.<br>c) Any other stretches where land is in municipal possession. |
| 2 | Health Infrastructure Cell | Dispensary, Municipal Hospital, Maternity Home, Cemetery. |
| 3 | School Infrastructure Cell | Municipal School. |
| 4 | Asstt. Comm. (Market) | Municipal Market, Municipal office, Staff Quarters, |
| 5 | Chief Fire Officer | Fire Station, Staff Quarters |
| 6 | Asstt. Comm. (Estate) | Staff Quarters |
| 7 | Ward Asstt. Comm. | Municipal offices, Chowkies, Multipurpose Community Centers, Road Depot, Scrap Yard, Municipal Facilities |
| 8 | Ch.Eng. (SWM) | Waste Processing Centres, Segregation Centres, Public Convenience Blocks, Municipal office, Chowkies, Staff Quarters. |
| 9 | H.E. | Municipal office Municipal Facilities, Chowkies |
| 10 | Ch.Eng. (WSP) | Municipal office, Staff Quarters |
| 11 | Ch.Eng. (SP) | Municipal office, Municipal Facilities, Chowkies, Staff Quarters |
| 12 | Ch.Eng. (SO) | Municipal Office, Municipal Facilities, Chowkies |
| 13 | Asstt. comm. (Planning) | Homeless Shelter, Aadhar Kendra with skill Development, Multipurpose Housing for working Women, Old age Home, Care Centre, Student Hostels.<br>Attempt shall be made to find grants available from State Govt.& Central Govt. for development of facilities for women & children, **like Grants already received** from Central Govt. for National Urban Livelihood Mission (NULM). |
| 14 | Supdt. of Garden and Garden Cell | P.G., Garden, Park, Leisure Park, Swimming Pool, Zoo, Municipal Sports Complex, Municipal Club /Gymkhana, Sports Complex, Green Belt, Promenade |

Note : 1. New Developments of D.P. Reservations shall only be included in CAPEX part of B.E. 2021-22.

2. In F.Y. 2021-22 development shall only be proposed on lands which are in MCGM possession and which are vacant.

D.P. Annexure – 'B'

## Format

**Detail of the Budgetary Provisions made in CAPEX part of B.E. 2021-22 for D.P. Implementation**

**Dept. : ----------------------**

| Sr. No. | Ward/D.P. Sheet. No. | C.S. No./ C.T.S. No. | Division / Village | Location | Details of New Amenity proposed to be constructed | Area (Sq.mts.) | | Block/ Tender Cost (Rs.) | B.E. 2020-21 (Rs.) | R.E. 2020-21 (Rs.) | Proposed in B.E. 2021-22 (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Land Area | Built up Area | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Name of Contact Person &Designation : --------------------------------------------------------------------

Mobile Number & Email Address : ----------------------------------------------------------------------

.

**Head of the Dept.**

**<u>Dy. Ch. Eng. (D.P.) - I</u>**